तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.s.Act Case No.02/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
16.2.2023	पत्रावली पेश हुई। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी विक्रम माली पुत्र श्री छोगाराम माली, निवासी– इन्द्रा कॉलोनी, गणपति मन्दिर के पास, गोयली, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म क्षेमंकरी ट्रेडर्स, शॉप नं. 63, झोरा मगरा कॉम्पलेक्स, सिरोही, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 17.12.2021 को फर्म क्षेमंकरी ट्रेडर्स, शॉप नं. 63, झोरा मगरा कॉम्पलेक्स, सिरोही, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रम माली से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Edible Coconut Oil (Tirumalaa Brand) का नमूना संख्या S-1555 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./918/Act/2021/1017 दिनांक 30.12.2021 में अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 14.2.2023 को प्रतिवादी विक्रम माली ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से प्रतिवादी को दिनांक 14.2.2023 को ही सुना गया। जिसने अनुरोध किया कि छोटा व्यापारी है एवं उसने उक्त नारियल तेल को दूसरी फर्म से क्रय किया था जिसका उसके पास बिल नही है। उसने उक्त नारीयल तेल में कोई मिलावट नही की है जिस स्थिति में क्रय किया था उसी स्थिति में विक्रय किया गया है। यह उसका प्रथम अपराध है, इसलिये कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) दिनांक 17.12.2021 को समय 3.00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म क्षेमंकरी ट्रेडर्स, शॉप नं. 63, झोरा मगरा कॉम्पलेक्स, सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से विक्रम माली पुत्र छोगाराम माली, निवासी– इन्द्रा कॉलोनी, गणपति मन्दिर के पास, गोयली, तहसील व जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ Edible [illegible] Oil (Tirumalaa Brand) बेचता है। श्री विनोद [illegible] शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल [illegible] जनता के .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:36:45 IST
Reason: SelfAttested

मा. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.s.Act Case No.02/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ Edible Coconut Oil (Tirumalaa Brand) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री सिद्धार्थ तोमर, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता विक्रम माली को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने दुकान के अन्दर आलमारी की रैक में बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Edible Coconut Oil (TirumalaaBrand) के 44 पैक्ड जार (प्रत्येक 500 एम.एल.) में से खाद्य पदार्थ Edible Coconut Oil (TirumalaaBrand) के 4 पैक्ड जार (प्रत्येक 500 एम.एल.) वास्ते नमूना जांच क्रय किये एवं उसकी कीमत राशि रुपये 796/– (अक्षरे रुपये सात सौ छियानवे मात्र) प्रतिवादी विक्रम माली को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1555, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ Edible Coconut Oil (TirumalaaBrand) का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने हस्ताक्षर किये। खरीदशुदा प्रत्येक नमूना जारी पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1555 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) के हस्ताक्षर किये हुए है। तत्पश्चात् श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने कार्यालय में पँहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्का[illegible] सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने दिनांक 20.10.20[illegible] को [illegible] का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा [illegible] वार्ड बाय, ...लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:36:45 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.s.Act Case No.02/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 17.12.2021 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार,, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) द्वारा फर्म क्षेमकरी ट्रेडर्स, शॉप नं. 63, झोरा मगरा कॉम्पलेक्स, सिरोही में प्रतिवादी विक्रम माली से खाद्य पदार्थ Edible Coconut Oil (TirumalaaBrand) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ Edible Coconut Oil (TirumalaaBrand) के नमूना संख्या S-1555 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./918/Act/2021/1017 दिनांक 30.12.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ Edible Coconut Oil (TirumalaaBrand) का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी विक्रम माली ने प्रकरण की अनुसंधान के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य पदार्थ Edible Coconut Oil (Tirumalaa Brand) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया एवं न ही इस न्यायालय में ऐसा कोई बिल प्रस्तुत किया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी विक्रम माली ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ Edible Coconut Oil (TirumalaaBrand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ Edible Coconut Oil (TirumalaaBrand) के विक्रय हेतु प्रतिवादी विक्रम माली पुत्र छोगाराम जी माली, निवासी– इन्द्रा कॉलोनी, गणपति मन्दिर के पास, गोयली, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म क्षेमंकरी ट्रेडर्स, शापॅ नं. 63, झोरा मगरा कॉम्पलेक्स, सिरोही, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी विक्रम माली को आदेशित किया जाता है कि उस पर आरोपित शास्ति (जुर्माना) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया [illegible] बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही [illegible] कार्यालय में 30 दिन में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल [illegible] जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 22.3.2023 को पेश हो। (के.आर.खौड़)	

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:36:45 IST
Reason: SelfAttested